52 वर्षों से आपकी सेवा में
SINCE 1973
प्रकाश डेन्टल हॉस्पिटल
Metal Braces

Ceramic Braces

Over Denture
(हिलते हुए जबड़े को इम्प्लांट द्वारा जाम करना)

Intra Oral Scanner
(फोटो खींचकर दांत बनाने की सुविधा)

जबड़े का 3D Scan एवं X-Ray

रुद्रपुर
गांधी पार्क के सामने
हल्द्वानी
रामपुर रोड
नैनीताल
मल्लीताल
9410714820
9119014820

नमस्कार ! मैं सरला माहेश्वरी...एक सधी आवाज का अवसान

स्मृति शेष

नई दिल्ली, एजेंसी। नमस्कार ! मैं सरला माहेश्वरी...माथे पर बिंदिया। सीधे पल्ले की साड़ी। एक-एक अक्षर इतना स्पष्ट की मानों शब्दों की माला पिरो रही हों। सधी हुई भाषा में दूरदर्शन न्यूज पर अपनी खास प्रस्तुति के लिए पहचाने जानी वालीं सरला माहेश्वरी हमारे बीच नहीं रहीं।

71 वर्ष की उम्र में राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में उन्होंने अंतिम सांस ली। उनके निधन पर दूरदर्शन, साथी समाचार वाचकों समेत प्रशंसकों ने गहरा दुख जताते हुए श्रद्धांजलि दी है। दूरदर्शन में सरला माहेश्वरी के साथी समाचार वाचक रहे शम्मी नारंग ने गुरुवार को उनके निधन की जानकारी दी। सोशल मीडिया मंच एक्स और इंस्टाग्राम पर नारंग ने एक पोस्ट में लिखा, 'मुझे दूरदर्शन में अपनी एक्स को-न्यूज़ एंकर, सरला माहेश्वरी के दुखद निधन की अनाउंसमेंट करते हुए बहुत दुख हो रहा है।'

साथी एंकरों ने दी श्रद्धांजलि : शम्मी नारंग ने लिखा, 'वह सिर्फ दिखने में ही नहीं दिल से भी बहुत खूबसूरत थीं। वह ज्ञान का भंडार थीं। उनकी साथी समाचार वाचिका रहीं शीला चमन ने एक्स पर लिखा, 'मेरी प्रिय दोस्त और मेरी हालिया पुस्तक दूरदर्शन डायरीज की सहलेखिका सरला के निधन की सूचना दुखद है। पूर्व समाचार वाचिका रिनी सिमोन खन्ना ने लिखा, 'सरला उत्कृष्टता की मिसाल थीं। इनके अलावा विभिन्न समाचार चैनलों, समाचार पत्रों, मीडिया जगत से जुड़ी हस्तियों और राजनीतिक दलों ने भी सरला माहेश्वरी के निधन पर शोक जताते हुए उन्हें श्रद्धांजलि दी है।

71 वर्ष की उम्र में निधन, प्रशंसकों ने दी श्रद्धांजलि, दूरदर्शन के सबसे जाने-माने चेहरों में एक थीं माहेश्वरी

पति-बेटा चिकित्सक : सरला का जन्म वर्ष 1954 में दिल्ली में हुआ था। दिल्ली विश्वविद्यालय से हिन्दी में बीए और एमए के बाद यहीं से उन्होंने पीएचडी भी की। दूरदर्शन से जुड़ने से पहले वह दिल्ली विश्वविद्यालय के हंसराज कॉलेज में पढ़ाती भी थीं। 1984 में उनका विवाह डॉ. पवन माहेश्वरी से हुआ, जो प्रख्यात गेस्ट्रोएंटेरोलॉजिस्ट हैं। उनके पुत्र कवीश माहेश्वरी प्लास्टिक सर्जन हैं। उनके दूसरे बेटे का नाम हिमांशु माहेश्वरी है।

'भारतीय समाचार जगत को दी नई दिशा' : डीडी नेशनल ने लिखा, 'दूरदर्शन परिवार की तरफ से सरला माहेश्वरी को दिल से श्रद्धांजलि। वह दूरदर्शन की एक सम्मानित और जानी-मानी न्यूज रीडर थीं। उन्होंने अपनी नरम आवाज, सटीक उच्चारण और शानदार प्रस्तुतीकरण से से भारतीय समाचारों की दुनिया में खास जगह बनाई। उनकी सादगी, संयम और व्यक्तित्व ने दर्शकों के दिलों में गहरा भरोसा बनाया।'

1976 से 2005 तक समाचारों की प्रमुख आवाज के रूप में पहचान बनाई

सरला माहेश्वरी ने अपनी शुरुआत 1976 में आकाशवाणी में समाचार प्रस्तोता के तौर पर की थी। कुछ साल बाद 1982 में वह दूरदर्शन से जुड़ गईं, जहां उन्हें समाचार वाचिका की जिम्मेदारी दी गई थी। तब से ही टीवी समाचारों के साथ उनका यह जुड़ाव गहरा होता गया और वर्ष 2005 तक वह समाचार वाचिका का काम करती रहीं।

ये भी जानें

- रेडियो पर कॅरियर की शुरुआत बच्चों के लिए कहानी के कार्यक्रम से की, वह पटकथा लेखक भी रहीं
- 1982 में श्वेत-श्याम से रंगीन टीवी समाचार प्रसारण सबसे पहले करने की उपलब्धि सरला को मिली
- 1982 में भारत में एशियाई खेलों के पहले रंगीन प्रसारण का संचालन सरला ने ही किया था
- मई 1991 में पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के निधन की सूचना सरला ने ही समाचार से देश को दी
- 1997 में मदर टेरेसा के निधन पर विशेष कवरेज के लिए कोलकाता गईं, जिसने पत्रकारिता को एक नई दिशा दी
- पंजाब में उग्रवादी घटनाओं से जुड़े कई अहम समाचार प्रस्तुत किए, जिस पर उन्हें धमकियां भी दी गईं

देश 30s

नीट छात्रा से दरिंदगी की जांच सीबीआई को

पटना। पटना में जहानाबाद की नीट छात्रा से दरिंदगी और संदिग्ध मौत मामले की जांच सीबीआई ने संभाल ली है। बिहार सरकार द्वारा 31 जनवरी 2026 को केंद्र से सीबीआई जांच की अनुशंसा के 12 दिन बाद सीबीआई की पटना इकाई ने नया केस दर्ज करते हुए मामले की जांच शुरू की है।

सीमा पर बीएसएफ-पाक रेंजर्स की बैठक

जम्मू। जम्मू के आरएसपुरा सेक्टर में अंतरराष्ट्रीय सीमा पर गुरुवार को सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) और पाकिस्तान रेंजर्स के बीच फ्लैग मीटिंग हुई। यह बैठक पाकिस्तान रेंजर्स के अनुरोध पर हुई, क्योंकि उन्हें सीमा के पास फायरिंग की घटना पर आपत्ति थी। बीएसएफ ने स्पष्ट किया कि गोलीबारी उनकी निर्धारित ट्रेनिंग का हिस्सा थी।

लालू पर आरोप केस में फैसला सुरक्षित

नई दिल्ली। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने लारा प्रोजेक्ट्स धनशोधन मामले में आरोप तय करने के मुद्दे पर अपना आदेश सुरक्षित रख लिया है। यह मामला लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी, तेजस्वी प्रसाद यादव समेत 16 आरोपियों के खिलाफ है। अदालत तीन मार्च को अपना फैसला सुनाएगी।

ईडी ने 6.20 करोड़ की संपत्तियां जब्त कीं

चंडीगढ़। ईडी के चंडीगढ़ जोनल कार्यालय ने क्रिप्टो से जुड़े एक बड़े पोंजी स्कीम और मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पीएमएलए के तहत कुल 6.20 करोड़ की संपत्तियां जब्त कर ली हैं। इसमें 4.50 करोड़ की 7 अचल संपत्तियां और 1.70 करोड़ नगद शामिल हैं।

महुआ मोइत्रा ने पुलिस पर सवाल उठाए

नोएडा। तृणमूल कांग्रेस की सांसद महुआ मोइत्रा ने गुरुवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर वीडियो जारी कर नोएडा पुलिस पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि आरोपी ने पुलिस के सामने एक राजनीतिक व्यक्ति को कॉल की। दावा है कि फोन पर पुलिस को कहा गया कि वे (पश्चिम बंगाल पुलिस) कुछ नहीं कर पाएंगे।

भारत-अमेरिका करार समझ का आधार

नई दिल्ली, वि.सं.। भारत-अमेरिका व्यापार समौझता फ्रेमवर्क की फैक्ट शीट में किए गए बदलाव पर विदेश मंत्रालय ने गुरुवार को कहा कि यह संयुक्त बयान में निहित साझा समझ को दर्शाती है।

विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रंधीर जैसवाल ने साप्ताहिक ब्रीफिंग के दौरान संवादाताओं के सवाल के जवाब में यह बात कही। फैक्ट शीट से दलहन के जिक्र को हटाया गया था। जैसवाल ने कहा कि जैसा कि आप जानते हैं, पारस्परिक रूप से लाभकारी व्यापार पर एक अंतरिम समझौते के ढांचे हेतु भारत-अमेरिका संयुक्त बयान 7 फरवरी, 2026 को जारी किया गया था। यह संयुक्त बयान ही वह ढांचा है और मामले में आपसी समझ का आधार है। अब अंतरिम समझौते को अंतिम रूप देने को काम करेंगे।

रिजिजू का दावा- कांग्रेस सांसदों ने आपत्तिजनक शब्द कहे, प्रियंका ने आरोप खारिज किए

स्पीकर के 'अपमान' पर तकरार

नई दिल्ली, विशेष संवाददाता। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के 'अपमान' के आरोप को लेकर सियासी पारा चढ़ गया है। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने गुरुवार को वीडियो साझा कर कांग्रेस सांसदों पर अध्यक्ष के कक्ष में अभद्र व्यवहार और प्रधानमंत्री को धमकी देने का आरोप लगाया। कांग्रेस ने इन दावों को खारिज करते हुए बेबुनियाद बताया। विपक्ष द्वारा दिए गए अविश्वास प्रस्ताव के नोटिस के बीच किरेन रिजिजू ने 'एक्स' पर चार फरवरी के वाकये का वीडियो साझा किया। उन्होंने कहा, इस गैरकानूनी वीडियो को एक कांग्रेस सांसद ने तब बनाया था, जब 20-25 सांसद अध्यक्ष के कक्ष में प्रवेश कर गए।

इस पोस्ट के साथ रिजिजू ने अपने बयान का वीडियो भी साझा किया। इसमें वह सिलसिलेवार तरीके से घटना बता रहे हैं। मंत्री ने दावा किया कि अध्यक्ष के कक्ष में प्रवेश करने वाले सांसदों ने प्रियंका गांधी और केसी वेणुगोपाल की मौजूदगी में आपत्तिजनक शब्दों का प्रयोग किया। इन सांसदों ने प्रधानमंत्री को धमकी देते हुए कहा कि प्रधानमंत्री जब सदन में आएंगे, तो देखना हम क्या करते हैं।

"लोकसभा अध्यक्ष कक्ष में अपशब्द कह रहे कांग्रेस सांसदों को वहां मौजूद वरिष्ठ नेताओं केसी वेणुगोपाल और प्रियंका गांधी ने रोका नहीं। वे (कांग्रेस सांसद) उन्हें उकसा रहे थे। अगर हमारे सांसद ऐसा करते तो नेता उन्हें रोकते।
-किरेन रिजिजू

"हमने किसी को गाली नहीं दी। एक-दो सांसद आक्रोशित थे और उन्होंने अपनी बात रखी। यह झूठ है कि मैं उन्हें उकसा रही थी। मैं चुपचाप बैठी थी। अंत में मैंने शांतिपूर्वक अध्यक्ष से कुछ बातें कहीं।
-प्रियंका गांधी वाड्रा

रिजिजू ने लोकसभा अध्यक्ष के कक्ष में कांग्रेस के एक सांसद द्वारा बनाए गए वीडियो को साझा कर सरकार की आशंकाओं को सही साबित करने की कोशिश की। क्योंकि, सदन में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को बोलने की इजाजत नहीं देने पर अपना विरोध दर्ज कराने के लिए कांग्रेस सांसदों ने लोकसभा अध्यक्ष से मुलाकात की थी। भाजपा ने उस वक्त भी ये आरोप लगाया था कि अध्यक्ष के कक्ष में कांग्रेस सांसदों का रवैया बेहद आक्रामक था।

इन दावों के बीच कांग्रेस ने आरोपों को झूठ करार दिया। पार्टी महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने संसद भवन परिसर में मीडिया से बात करते हुए कहा कि यह बात बेबुनियाद है कि वह पार्टी सांसदों को उकसा रही थीं। उन्होंने यह भी कहा कि कक्ष में गए सांसदों ने किसी के लिए आपत्तिजनक शब्दों का प्रयोग नहीं किया। साथ ही अभद्र व्यवहार करने के आरोपों से भी इनकार किया। प्रियंका ने कहा, हमने किसी का अपमान नहीं किया। इस घटनाक्रम के बाद माना जा रहा है कि पक्ष- विपक्ष में आरोप-प्रत्यारोप का दौर जारी रहेगा।

ऐसे शुरू हुआ विवाद: लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने पांच फरवरी को सदन में कहा था कि प्रधानमंत्री को चार फरवरी को राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा का जवाब देना था। पर, उनके पास पुख्ता जानकारी थी कि कांग्रेस के कुछ सदस्य पीएम के आसन के पास पहुंचकर उन्हें नुकसान पहुंचा सकते थे।

भारत में विकास दर ज्यादा, मुद्रास्फीति कम : वित्त मंत्री

नई दिल्ली। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने गुरुवार को राज्यसभा में कहा कि वैश्विक स्थिति के विपरीत भारत में जीडीपी विकास दर अधिक और मुद्रास्फीति कम है, जो एक दुर्लभ स्थिति है। उन्होंने कहा कि यह स्थिति कोई तुक्का नहीं है बल्कि यह समय पर लिए गए विस्तृत निर्णय एवं कदमों तथा सतत विकास का परिणाम है। बजट पर चर्चा का जवाब देते हुए सीतारमण ने विपक्ष के सवालों का जवाब दिया साथ ही यूपीए सरकार से तुलना करते हुए अर्थव्यवस्था के उजले पक्ष को सदन के सामने रखा। निर्मला सीतारमण ने कहा कि हमारा लक्ष्य विकसित भारत है। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय के अग्रिम अनुमानों के अनुसार 2025-26 की वास्तविक जीडीपी विकास दर 7.4 प्रतिशत बताई गई है।

Uttar Padesh Board & NCTE से मान्यता प्राप्त कॉलेजों में प्रवेश
D.EL.ED.
(डी.एल.एड.)
• सत्र (2025-27), का अन्तिम मौका
• मेरिट से सीधे प्रवेश
• आवंटित जिले - मेरठ, गाजियाबाद, आगरा, बिजनौर व अमरोहा
सुनहरा मौका सीधे प्रवेश- (2025-2027) सीमित सीटें
Registration Open
अल्पसंख्यक कॉलेजों D.El.Ed. कोर्स में मैनेजमेन्ट कोटे में सीधे प्रवेश के लिए सम्पर्क करें।
Admission & Information Office
GLOBAL CAREER INSTITUTE
Add. Canal Road, Near Vedanta Eye Hospital, DURGA CITY CENTER, HALDWANI
Mob.: 7617632557, 7055055570

अल्मोड़ा अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड
(पूर्णतया सी०बी०एस०, RTGS, NEFT, SMS एवं ATM (POS, E-COM, VAS) सुविधायुक्त)
प्रधान कार्यालय लाला बाजार, अल्मोड़ा
फोन- 05962-231947, 230743
E-mail: info@almorauurban.bank.in Visit us: www.almorauurban.bank.in
बैंक शाखा हेतु भवन की आवश्यकता
अल्मोड़ा अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लि०, जो उत्तर भारत का अग्रणी नगर सहकारी बैंक है, को काशीपुर व दिनेशपुर (जिला ऊधम सिंह नगर), कनखल व शिवालिक नगर (जिला हरिद्वार), रिंग रोड व मियावाला (जिला देहरादून), कर्णप्रयाग (जिला चमोली), चम्बा (जिला टिहरी गढ़वाल) एवं रूद्रप्रयाग (जिला रूद्रप्रयाग) में नयी शाखा खोले जाने हेतु मुख्य व्यवसायिक स्थान जहाँ पार्किंग की पूर्ण व्यवस्था हो, के साथ लगभग 800 से 1000 वर्गफीट के क्षेत्रफल वाले भवन परिसर की आवश्यकता है। भवन पर्याप्त बिजली की आपूर्ति सहित समस्त आवश्यक सुविधायुक्त होना आवश्यक है। इच्छुक व्यक्ति विज्ञापन तिथि से 30 दिवसों के अन्तर्गत प्रबन्ध निदेशक/सीईओ, अल्मोड़ा अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लि०, प्रधान कार्यालय, गुरुरानी काम्प्लैक्स, लाला बाजार, अल्मोड़ा के पते पर अपना भवन प्रस्ताव मानचित्र एवं सम्पत्ति के दस्तावेज सहित प्रेषित कर सकते हैं। किसी भी प्रस्ताव को बिना कारण बताये अस्वीकृत करने का विशेषाधिकार बैंक के पास सुरक्षित रहेगा।
प्रबन्ध निदेशक/सीईओ

सूचना
प्रार्थी के पास अपने मित्र मनोज कुमार की भूमि स्थित ग्राम / सैक्टर तुगलपुर हल्दोना (फेस-III) भूखण्ड संख्या 24, पॉकेट-बी, क्षेत्रफल 174.93 वर्गमीटर, किसान आबादी, ग्रेटर नोएडा, जिला गौतमबुद्धनगर, उत्तरप्रदेश, जो कि उसके द्वारा श्रीमति सरला रानी से क्रय की गई थी का मूल बैनामा जो कि उपनिबन्धक सदर, गौतमबुद्धनगर, उत्तरप्रदेश के कार्यालय में दिनांक 29.07.2013 को बही संख्या 1, जिल्द संख्या 13839 के पृष्ठ संख्या 219 से 262 पर क्रमांक 19026 पर रजिस्ट्रीकृत किया गया था, दिनांक 02.02.2026 को रामनगर में कहीं गुम हो गया है, जो कि काफी खोजने पर भी नहीं मिल रहा है।
प्रार्थी
कमलेश हर्बोला पुत्र श्री देवेन्द्र प्रसाद हर्बोला
निवासी - राधा माधव कुंज, दुर्गापुरी, रामनगर, नैनीताल। मोबाईल-9528813317

किसान हितों से समझौता नहीं होने दूंगा : राहुल

नई दिल्ली, विशेष संवाददाता। संसद में भाजपा की तरफ से सदस्यता खत्म करने के विशिष्ट प्रस्ताव के नोटिस के बीच लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने पलटवार किया है।

उन्होंने साफ कहा कि सरकार उनके खिलाफ जो चाहे करे, पर वह सरकार को किसानों के साथ समझौता नहीं करने देंगे। वह अन्नदाताओं के लिए पूरी ताकत के साथ लड़ेंगे। राहुल गांधी ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर पोस्ट कर कहा कि उन पर एफआईआर हो, मुकदमा दर्ज किया जाए या प्रस्ताव लाएं। वह किसानों के लिए लड़ते रहेंगे। क्योंकि व्यापार समझौता जो किसानों की रोजी रोटी छीने व देश की खाद्य सुरक्षा को कमजोर करे, वह किसान विरोधी है। सरकार को समझौता नहीं करने देंगे। अपने ट्वीट के साथ राहुल गांधी ने करीब दो मिनट का एक वीडियों संदेश भी जारी किया है। इस संदेश में राहुल सरकार पर आरोप लगाते हुए दिख रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसानों को धोखा दिया है। अमेरिका के साथ व्यापार समझौते में मक्का, कपास और सोयाबीन के किसानों के हितों के साथ समझौता किया गया है। राहुल का कहना है कि विदेशी ताकतें वर्षों से भारतीय कृषि बाजार पर कब्जा करने की कोशिश कर रही थी। भाजपा की अगुआई वाली सरकार ने अमेरिका के साथ समझौते के जरिए कृषि क्षेत्र को खोल दिया है।

पंजाब नैशनल बैंक punjab national bank
...भरोसे का प्रतीक ...the name you can BANK upon!
अंचल कार्यालय, द्वितीय तल, प्लॉट संख्या 09, आई टी पार्क, देहरादून -248001
सामान्य सेवा प्रशासन विभाग
सूचीबद्ध करने हेतु सूचना
पंजाब नेशनल बैंक, " उत्तराखंड राज्य में विभिन्न श्रेणियों में रूफ टॉप, ऑन ग्रिड/ऑफ ग्रिड/हाइब्रिड सोलर पीवी प्लांट की आपूर्ति, स्थापना, परीक्षण, कमीशनिंग और आवधिक मरम्मत एवं रखरखाव के लिए सेवाएं प्रदान करने वाली ठेकेदारों को सूचीबद्ध करने हेतु पूर्व अहर्ता के लिए आवेदन आमंत्रित करता है।"
आवेदन डाउनलोड करने की आरम्भिक तिथि एवं समय 13.02.2026 को 10.00 बजे से।
आवेदन पत्र डाउनलोड करने तथा जमा करने की अंतिम तिथि एवं समय 27.02.2026, 16:00 बजे तक।
पूर्व- योग्यता दस्तावेज हमारी वेबसाइट https://www.pnbindia.in/Tender.aspx से डाउनलोड किया जा सकता है।
सभी आवश्यक दस्तावेजों के साथ विधिवत भरा हुआ आवेदन पत्र पंजाब नेशनल बैंक, अंचल कार्यालय, द्वितीय तल, प्लॉट संख्या-09, आई टी पार्क, देहरादून-248001 पर जमा किया जाना है। उपर्युक्त पूर्व-आहर्ता दस्तावेज के संबंध में कोई भी शुद्धिपत्र/स्पष्टीकरण केवल उपरोक्त वेबसाइट पर जारी किया जाएगा, जिसे नियमित रूप से देखा जाना चाहिए।
मुख्य प्रबन्धक

संसद में विपक्ष के विरोध के बीच नया श्रम कानून पारित

नई दिल्ली, विसं। औद्योगिक संबंध संहिता (संशोधन) विधेयक, 2026 संसद में पारित हो गया है। गुरुवार को विधेयक को लेकर लोकसभा और राज्यसभा में चर्चा हुई।

विपक्ष ने विधेयक और नए श्रम संहिताओं के प्रावधानों पर कड़ा विरोध जताया, जिस पर सरकार की तरफ से सफाई दी गई कि इस विधेयक के जरिए कानून में कोई बदलाव नहीं किया जा रहा है। सिर्फ पुराने कानूनों को वापस लेने का प्रावधान संहिता में जोड़ा जा रहा है, जिससे किसी भी तरह की कानूनी उलझन न हो।

सदन में विधेयक पर हुई संक्षिप्त चर्चा का जवाब देते हुए केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्री डॉ. मनसुख मंडाविया ने विपक्ष के आरोपों को खारिज किया। उन्होंने कहा कि इस संशोधन विधेयक के जरिये कानून में कोई बदलाव नहीं किया जा रहा है। तीन पुराने कानूनों को वापस लेने का प्रावधान संहिता में जोड़ा जा रहा है।

बंगाल पर आमने-सामने टीएमसी और भाजपा

राज्यसभा में आम बजट पर चर्चा के आखिरी दिन गुरुवार को टीएमसी और बीजेपी के सांसद आमने-सामने नजर आए। तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) के सांसद डेरेक ओ'ब्रायन ने राज्यसभा में केंद्र सरकार और आम बजट पर कटाक्ष करते हुए कहा कि यह कहना ठीक नहीं है कि किसान खुश नहीं हैं। किसान खुश हैं लेकिन केंटकी (अमेरिका) के! डेरेक ओ'ब्रायन ने आरोप लगाया कि केंद्रीय बजट में पर्यावरण और वायु प्रदूषण पर कोई ठोस प्रावधान नहीं किया गया, अल्पसंख्यकों के लिए कुछ नहीं है और रेलवे सुरक्षा पर भी पर्याप्त ध्यान नहीं दिया गया।

बैंक ऑफ बड़ौदा Bank of Baroda
शाखा : क्षेत्रीय दबावग्रस्त आस्ति वसूली शाखा, प्रथम तल क्षेत्रीय कार्यालय, रुद्रपुर, जाबा चौक के पास, काशीपुर रोड, रुद्रपुर- 263153
ई-नीलामी सूचना
चल/अचल संपत्तियों की नीलामी सूचना "परिशिष्ट IV-A" 6(2) और/या 8(6) देखें
वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण एवं पुन: निर्माण तथा प्रतिभूतिहित प्रवर्तन अधिनियम 2002 के साथ पठित 6(2) और/या 8(6) और/या 9(1) के अधीन बैंक को बंधक रखी चल/अचल संपत्तियों की ई-नीलामी
सर्वसाधारण को साधारणतया एवं ऋणी एवं जमानतदार को विशेषतया यह सूचना दी जाती है कि निम्न वर्णित संपत्ति बैंक ऑफ बडौदा के पास बंधक है एवं जिसका कब्जा बैंक के संबंधित प्राधिकृत अधिकारी द्वारा ले लिया है एवं बैंक की बकाया राशि मय ब्याज, खर्चे एवं कीमत इत्यादि सहित वसूलने हेतु निम्न शर्तों एवं नियमों के अंतर्गत ई-नीलामी द्वारा विक्रय की जा रही है। निम्न वर्णित संपत्तियां "जहां है जैसी है एवं जो है जैसी है" के आधार पर ई-नीलामी के द्वारा विक्रय की जायेंगी। बकाएदार/जमानतदार/सम्पत्ति/यों का विवरण/बकाया धनराशि/रिर्जव प्राईज/ ई-नीलामी की तिथि एवं समय, आरक्षित मूल्य एवं न्यूनतम बोली की वृद्धि राशि का विवरण नीचे दिया गया है :-

क्र. सं.	ऋणी/गारन्टर का नाम व पता	चल/अचल सम्पत्ति का विवरण	रिजर्व प्राईज	दिनांक एवं ई-नीलामी के प्रारम्भ का समय	मांग सूचना की तिथि / कब्जे की तिथि / बकाया धनराशि
1.	1. मैसर्स प्रेजाइस टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड द्वारा इसके निदेशक श्री शैलेन्द्र सिंह पुत्र श्री ओम प्रकाश एवं श्रीमती अंजलि चौधरी पत्नी श्री शैलेन्द्र सिंह, प्लॉट नं. 7 ए, सेक्टर-2, सिडकुल औद्योगिक क्षेत्र आई.आई.ई पंतनगर, जिला- ऊधम सिंह नगर-263153 2. श्री शैलेन्द्र सिंह पुत्र श्री ओम प्रकाश (निदेशक मैसर्स प्रेजाइस टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड), फ्लैट नं. जी4, बिल्डिंग टी-8, हरिद्वार ग्रीन्स हॉलिडे होम, जवाहर नवोदय विद्यालय रोशनाबाद हरिद्वार के पास, उत्तराखण्ड- 249403, अन्य पता- 1बी/435, बुद्धि विहार आवास विकास दिल्ली रोड मझोला मुरादाबाद, उत्तर प्रदेश, भारत पिन-244001 3. श्रीमती अंजलि चौधरी पत्नी श्री शैलेन्द्र सिंह (निदेशक मैसर्स प्रेजाइस टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड), फ्लैट नं. जी4, बिल्डिंग टी-8, हरिद्वार ग्रीन्स हॉलिडे होम, जवाहर नवोदय विद्यालय रोशनाबाद हरिद्वार के पास, उत्तराखण्ड- 249403, अन्य पता- 1बी/435, बुद्धि विहार आवास विकास दिल्ली रोड मझोला मुरादाबाद, उत्तर प्रदेश, भारत, पिन-244001 4. श्री शैलेन्द्र सिंह पुत्र श्री ओम प्रकाश (जमानती), फ्लैट नं. जी4, बिल्डिंग टी-8, हरिद्वार ग्रीन्स हॉलिडे होम, जवाहर नवोदय विद्यालय रोशनाबाद हरिद्वार के पास, उत्तराखण्ड- 249403, अन्य पता- 1बी/435, बुद्धि विहार आवास विकास दिल्ली रोड मझोला मुरादाबाद, उत्तर प्रदेश, भारत पिन-244001 5. श्रीमती अंजलि चौधरी पत्नी श्री शैलेन्द्र सिंह (जमानती), फ्लैट नं. जी4, बिल्डिंग टी-8, हरिद्वार ग्रीन्स हॉलिडे होम, जवाहर नवोदय विद्यालय रोशनाबाद हरिद्वार के पास, उत्तराखण्ड- 249403, अन्य पता- 1बी/435, बुद्धि विहार आवास विकास दिल्ली रोड मझोला मुरादाबाद, उत्तर प्रदेश, भारत, पिन-244001	अ). बंधक अचल सम्पत्ति (औद्योगिक संपत्ति) के सभी भाग व हिस्से जो प्लॉट सं. 7 ए, सेक्टर 02, -आई.आई.ई सिडकुल, पंतनगर, खसरा सं. 189, ग्राम-कल्याणपुर तहसील- रुद्रपुर, जिला- ऊधम सिंह नगर की ग्राम सीमा के अंदर स्थित है। सम्पत्ति क्रमांक सं. 4321, दिनांक 19.08.2017, लीज डीड के माध्यम से मैसर्स प्रजाइस टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड के नाम पर दर्ज है। क्षेत्रफल 350.00 वर्ग मीटर। सीमायें- उत्तर में ग्रीन बेल्ट, दक्षिण में 45 मीटर चौड़ी सड़क, पूरब में प्लॉट नं0 7 सेक्टर 2, पश्चिम में ग्रीन बेल्ट। ब). प्लांट एवं मशीनरी:- हॉरिजॉन्टल आटा चक्की (01), वाइब्रो शिफ्टर (01), अनाज सफाई मशीन (01), हॉपर (02), माइनिंग मशीन (01), इलेक्ट्रिक पैनल (01), आयरन रैक (01), डस्ट कलेक्टर (01), साइक्लोन (01), पैडल फैन (01), सीलिंग फैन (01), आयरन एंगल (11), मॉनिटर (02), डीवीआर (कैमरा हेतु) (01), कंप्रेसर (01), सीसीटीवी कैमरा (04), फायर फाइटर सिलेंडर (02), वजन मशीन (02), एग्जॉस्ट फैन (01), प्रिंटिंग मशीन (01), एग्जीक्यूटिव चेयर (01), आयरन अलमारी (01), ऑफिस चेयर (04), टेबल (03), सिलाई मशीन (01), हैंड ब्लोअर (01), कीबोर्ड (01), लैंडलाइन फोन (01), माउस (01), अन्य स्क्रैप सामग्री।	संपत्ति (अ) - ₹ 55,50,000.00 + संपत्ति (ब) - ₹ 13,00,000.00 = संपत्ति (अ) व (ब) का कुल योग ₹ 68,50,000.00 ई.एम.डी. ₹ 6,85,000.00 न्यूनतम बोली की वृद्धि राशि ₹ 25,000.00	18.03.2026 अपरान्ह 12:00 से सायं 05:00 कब्जे का प्रकार भौतिक कब्जा	01.01.2025 / 12.03.2025 / ₹ 41.43,668.95 (रुपये इकतालीस लाख तैंतालीस हजार छः सौ अड़सठ एवं पैसे पिचानवे मात्र) + ₹ 88,536.05 (रुपये अट्ठासी हजार पांच सौ छत्तीस एवं पैसे पांच मात्र) (अप्राप्त ब्याज) + अप्रयुक्त ब्याज + कानूनी शुल्क + अन्य शुल्क (दिनांक 29.12.2024 से प्रभावी)

विक्रय के निबन्धन और शर्तों के ब्यौरे के लिए कृपया हमारी वेबसाईट https://www.bankofbaroda.in/e-auction.htmtl एवं https://baanknet.com देखें। भावी बोली दाता प्राधिकृत अधिकारी, मो0-8477009621, 8477000519, से भी सम्पर्क कर सकते हैं। नोट : किसी भी त्रुटि या विवाद की स्थिति में इस नीलामी नोटिस का अंग्रेजी अखबार हिंदुस्तान टाइम्स दिनांक 13.02.2026 को प्रकाशित नोटिस मान्य होगा।
सम्पत्ति के निरीक्षण की तिथि व समय : 13.03.2026 को अपरान्ह 12 बजे से सायं 05:00 बजे तक
सरफाएसी ऐक्ट, 2002 के तहत बिक्री हेतु 30 दिन का कानूनी नोटिस
एतद्द्वारा कर्जदारों/जमानतियों को अधिसूचित किया जाता है कि वे उपरिवर्णित राशि का भुगतान अद्यतन ब्याज और अनुषंगी खर्चों सहित नीलामी की तिथि से पहले कर दें, जिसमें असफल रहने पर सम्पत्ति की नीलामी/बिक्री की जाएगी और बकाया राशि, यदि कोई, की वसूली ब्याज एवं लागत सहित की जाएगी।
दिनांक : 12.02.2026
स्थान : बैंक ऑफ बड़ौदा, क्षेत्रीय दबावग्रस्त आस्ति वसूली शाखा, रुद्रपुर
प्राधिकृत अधिकारी

पूर्व कप्तान धौनी को कोर्ट में 10 लाख जमा कराने पड़ेंगे

चेन्नई, एजेंसी। मद्रास उच्च न्यायालय ने पूर्व भारतीय कप्तान महेंद्र सिंह धौनी को दस लाख रुपये चुकाने का निर्देश दिया है। धौनी को यह रकम पूर्व आईपीएस अधिकारी के खिलाफ दायर मानहानि मामले से जुड़ी लिखित सामग्री के अनुवाद शुल्क के तौर पर चुकानी होगी।

धौनी न पूर्व आईपीएस जी. संपतकुमार के खिलाफ मानहानि का केस किया था। इसमें वर्ष 2013 के आईपीएल बेटिंग घोटाले से कथित तौर पर उनका नाम जोड़ने के लिए 100 करोड़ रुपये हर्जाने की मांग की गई थी। धौनी की ओर से अदालत से अनुरोध किया गया था कि मुकदमे की कार्यवाही से जुड़े कागजातों की अनुवादित प्रतियां उपलब्ध कराई जाएं। इस पर 28 अक्तूबर 2025 को अदालत ने अनुवाद का काम शुरू करवाने का आदेश दिया था। धौनी को इसका शुल्क चुकाने को कहा गया था।

11 फरवरी को ताजा आदेश में जस्टिस आरएन मंजुला की अदालत ने कहा कि महेंद्र सिंह धौनी को अनुवाद प्रक्रिया के लिए 10 लाख रुपये जमा कराने होंगे।

मानहानि मामले से जुड़ी लिखित सामग्री का मामला